भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश।

हरियाणा सरकार गृह विभाग द्वारा जारी सलाह क्रमांक 5/4/2020/2एचसी दिनांक 20.03.2020 अनुसार देश के बाकी हिस्सों के साथ–साथ हरियाणा में भी कोरोना वायरस–19 महामारी के सामुदायिक प्रसारण चरण में जाने की संभावना है। इस बिमारी की रोकथाम हेतू जिला जीन्द में निम्नलिखित 04 जगहो पर Quarantine Centre बनाये गये हैं।

Sr. No.	Area	Location	Contact person & Mobile No.
1	JIET School Hostel No.3, Safidon Road	Jind	Dr. S.K. Singh, Principal - 9996007595 Ashish Singla - 9034560037
2	Singla Dharmshala, Patel Nagar	Narwana	Sh. Pawan - 9416143067
3	Jaat Dharmarth Sabha,	Safidon	Sh. Ranbir Singh - 9416557909
4	1- Birender Singh Nursing College 2- New Buliding Civil Hospital	Uchana	Dr. Rajesh Sheokand, Principal - 9416664841 & Dr. Baba - 9440453423 Dr. Sushil Garg - 9996581789, 7015925247

अतः कोरोना वायरस–19 महामारी की रोकथाम के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डा0 आदित्य दहिया, भा.प्र.से., जिलाधीश, जीन्द सरकार के आगामी आदेशों तक तुरन्त प्रभाव से उक्त स्थानों से 200 मीटर की दूरी तक पांच या पांच से अधिक लोगों के इकटठा होने पर प्रतिबन्ध लगाता हूं।

उपर्युक्त आदेश की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आई0पी0सी0 की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह आदेश डाक्टरों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, हस्पताल के स्टाफ, आपातकालीन सेवाओं तथा कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाई गई डियुटियों पर लागू नही होगा।

इस आदेश की जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, जीन्द द्वारा विस्तृत मुनादी करवाई जायेगी तथा इसका कचहरी, उपमण्डल, तहसील कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों व पुलिस स्टेशनों पर नोटिस चस्पा करके प्रसार किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 20.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय द्वारा जारी किया गया है।

DISTRICT MAGISTRATE JIND (Haryana)

जिलाधीश, जीन्द। 20/3/20

पृ0 क्रमांक 311–30/एमए   दिनांक 20.03.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग हरियाणा, चण्डीगढ को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 5/4/2020/2एचसी दिनांक 20.03.2020 के सन्दर्भ में।
3. पुलिस महानिदेशक हरियाणा, चण्डीगढ।
4. आयुक्त, हिसार मण्डल, हिसार।
5. पुलिस महानिरीक्षक, हिसार रेंज, हिसार।
6. जिला एवं सत्र न्यायधीश, जीन्द।
7. प्रवर पुलिस अधीक्षक, जीन्द।
8. अतिरिक्त उपायुक्त, जीन्द।
9. उपमण्डल अधिकारी (ना), जीन्द/सफीदों/नरवाना/उचाना।
10. महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, जीन्द।
11. जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द।
12. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जीन्द।
13. जिला के सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार।
14. जिला के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
15. जिला सूचना एंव लोक सम्पर्क अधिकारी, जीन्द।
16. जिला के सभी कार्यालयाध्यक्ष।
17. आशुलिपिक समीप उपायुक्त/नगराधीश, जीन्द।

DISTRICT MAGISTRATE JIND (Haryana)

जिलाधीश, जीन्द। 20/3/20

Scanned with CamScanner

भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश।

हरियाणा सरकार गृह विभाग द्वारा जारी सलाह क्रमांक 5/4/2020/2एचसी दिनांक 20.03.2020 अनुसार देश के बाकी हिस्सों के साथ–साथ हरियाणा में भी कोरोना वायरस–19 महामारी के सामुदायिक प्रसारण चरण में जाने की संभावना है। अतः कोरोना वायरस–19 महामारी की रोकथाम के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डा0 आदित्य दहिया, भा.प्र.से., जिलाधीश, जीन्द जिला जीन्द से गुजरने वाले हाईवे पर स्थित सभी ढाबों/होटलों को दिनांक 31.03.2020 तक बन्द करने के आदेश पारित करता हूं।

उपर्युक्त आदेश की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आई0पी0सी0 की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह आदेश सरकारी कर्मचारियों, डाक्टरों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, हस्पताल के स्टाफ, आपातकालीन सेवाओं तथा कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाई गई डियुटियों पर लागू नही होगा।

इस आदेश की जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, जीन्द द्वारा विस्तृत मुनादी करवाई जायेगी तथा इसका कचहरी, उपमण्डल, तहसील कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों व पुलिस स्टेशनों पर नोटिस चस्पा करके प्रसार किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 20.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय द्वारा जारी किया गया है।

DISTRICT MAGISTRATE JIND (Haryana)

20/3/20
जिलाधीश, जीन्द।

पृ0 क्रमांक 341–55/एमए दिनांक 20.03.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग हरियाणा, चण्डीगढ को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 5/4/2020/2एचसी दिनांक 20.03.2020 के सन्दर्भ में।
3. पुलिस महानिदेशक हरियाणा, चण्डीगढ।
4. आयुक्त, हिसार मण्डल, हिसार।
5. पुलिस महानिरीक्षक, हिसार रेंज, हिसार।
6. जिला एवं सत्र न्यायधीश, जीन्द।
7. प्रवर पुलिस अधीक्षक, जीन्द।
8. अतिरिक्त उपायुक्त, जीन्द।
9. उपमण्डल अधिकारी (ना), जीन्द/सफीदों/नरवाना/उचाना।
10. जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द।
11. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जीन्द।
12. जिला खादय एवं पूर्ति नियन्त्रक, जीन्द।
13. जिला के सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार।
14. जिला सूचना एंव लोक सम्पर्क अधिकारी, जीन्द।
15. आशुलिपिक समीप उपायुक्त/नगराधीश, जीन्द।

DISTRICT MAGISTRATE JIND (Haryana)

20/3/20
जिलाधीश, जीन्द।

Scanned with CamScanner